[2017] 10 एस. सी. आर. 1097

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

मवाना शुगर मिल्स

(2017 की सिविल अपील संख्या 10610)

18 अगस्त, 2017

[अरुण मिश्रा और अमिताव रॉय, जे. जे.]

उत्पाद शुल्क- शीरा नीति की व्याख्या, राज्य सरकार ने शीरा वर्ष 2015-2016 के लिए "शीरा नीति" जारी की, जिसमें उसमें उल्लिखित सूत्र के अनुसार देश के शराब निर्माताओं को आपूर्ति के लिए उत्पादित शीरा का 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया- प्रत्यर्थी के अनुसार, 25 प्रतिशत आरक्षण शीरा आसवन की बंदी खपत के बाद उसके अधिशेष पर लागू होगा जबकि, अपीलार्थीगण ने बल देकर कहा कि 25 प्रतिशत का आरक्षण शीरा के कुल उत्पादन पर होगा जो कि पॉलिसी में परिभाषित सूत्र के संदर्भ में गणना योग्य शेष स्टॉक में समायोजित होता रहेगा। माना : शीरा वर्ष 2015-16 के लिए नीति में, कुल उत्पादित शीरा के 25 प्रतिशत आरक्षण के लिए निर्देश है-इस नीति का स्पष्ट निर्देश कि उत्पादित गुड़ के 25 प्रतिशत का आरक्षण होगा, जिसका किसी भी तरह से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि इस तरह के आरक्षण को केवल संबंधित चीनी मिलों की बंदी खपत के बाद बचे हुए शेष स्टॉक का माना गया था। ध्यान देने योग्य, नीति सचेत रूप से रेखांकित करती है कि इस प्रकार की किसी भी

घटना में, चीनी मिलों द्वारा शीरा की बंदी खपत बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है, जहाँ तक अगर शेष स्टॉक आरक्षण की सीमा से अधिक है, यह पूरा लागू होगा, लेकिन यदि शेष स्टॉक आरक्षित की जाने वाली मात्रा से कम है, तो आरक्षण केवल शेष स्टॉक की सीमा तक काम करेगा और अधिक नहीं। इसलिए, प्रतिवादी की यह दलील कि आरक्षण सभी स्थितियों में शेष स्टॉक के 25 प्रतिशत तक स्पष्ट रूप से सीमित है, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 . गुड़ नीति 2015-16 से यह स्पष्ट होगा कि गुड़ वर्ष 2015-16 के लिए, प्रत्येक चीनी मिल को, पहले स्थान पर, उत्पादित शीरा का 25 प्रतिशत आरक्षित रखना होगाऔर वह चीनी मिले, जिनके आसवन राज्य में स्थित हैं , आरक्षण के निम्नलिखित मानदंडों को लागू करेंगी -

(क) यदि शेष स्टॉक आरक्षित मात्रा (25 प्रतिशत) से अधिक है, तो उस स्थिति में उन पर पूर्ण आरक्षण शीरा वर्ष की शुरुआत लागू होगा।

(ख) यदि शेष स्टॉक आरक्षित मात्रा से कम है तब, आरक्षण गुड़ वर्ष की शुरुआत से लागू होगा, लेकिन शेष स्टॉक राशि की मात्रा तक सीमित होगा।
(ग) यदि शेष स्टॉक शून्य है अर्थात यदि गुड़ की कैप्टिव खपत उनके लिए उपलब्ध मात्रा से अधिक है, तो कोई आरक्षण नहीं लागू होगा। [पैरा 21] [1109-ई-एच]

1.2 इस नीति में शेष स्टॉक का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:

शीरा वर्ष के लिए शेष स्टॉक 2015-16 = अनारक्षित शीरा वर्ष 2015-16 में मिलों के समूह का प्रारंभिक स्टॉक + शीरा वर्ष 2015-16 में उत्पादन- शीरा वर्ष 2015-16 में शीरा का स्व-सेवन (शीरा वर्ष 2014-15 में 31.10.2015 तक शीरा के स्व-सेवन के बराबर)| [पैरा 24] [1110-डी]

1.3 पॉलिसी के उद्देश्य के लिए शेष स्टॉक, इसलिए, संक्षेप में, वह स्टॉक है जो शीरा वर्ष 2015-16 में अनारक्षित राशि के कुल योग से उसी शीरा वर्ष का प्रारंभिक उत्पादन और उक्त वर्ष में उसका उत्पादन में से कैप्टिव खपत के लिए वस्तु के उपयोग के बाद बचा रहेगा। हालांकि, शेष स्टॉक की गणना अंत में यह तय करने के लिए प्रासंगिक है कि आरक्षण की सीमा अन्य डिस्टिलरीज जो देश में बनी शराब बनाती हैं को आपूर्ति की मात्रा का पता लगाने के लिए प्रभावी होगी। हालांकि यह प्रत्यर्थी के इस तर्क का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता है कि उपरोक्त खंड (ए), (बी) और (सी) में संभावितताओं के बावजूद, आरक्षण केवल उक्त शेष स्टॉक के 25 प्रतिशत का होगा और अन्यथा नहीं। यह नीति के स्पष्ट निर्देश को ध्यान में रखते हुए है कि आरक्षण उत्पादित शीरे के 25 प्रतिशत का होगा, जो किसी भी तरह से यह इंगित करने के लिए नहीं है कि इस तरह का आरक्षण संबंधित चीनी मिलों की कैप्टिव खपत के बाद बचे हुए केवल शेष स्टॉक का माना गया था। इस प्रकार की किसी भी अवधारणा का निर्माण नीति का पूरी तरह से गलत अध्ययन होगा और सीमा की प्रतिकूलता होगी। [पैरा 25] [1110-ई-एच]

2. ध्यान देने योग्य है कि विचाराधीन नीति सचेत रूप से रेखांकित करती है कि किसी भी स्थिति में, गुड़ का कैप्टिव उपभोग चीनी मिलों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है, जहाँ तक कि अगर शेष स्टॉक आरक्षण की सीमा से अधिक है, यह पूरा स्टॉक लागू होगा, लेकिन यदि शेष स्टॉक आरक्षित की जाने वाली मात्रा से कम है, तो आरक्षण केवल शेष स्टॉक की सीमा तक काम करेगा, न कि उससे अधिक। शेष स्टॉक के रूप में, यदि कोई हो, तो अवधारणात्मक रूप से बंदी उपभोग के रूप में उपयोग के बाद अवशेष होगा, नीति के अवैध, अनुचित, अन्यायपूर्ण, अनुचित या असंवैधानिक, होने को लेकर चुनौती के अभाव में प्रत्यर्थी की यह दलील कि आरक्षण सभी परिस्थितियो में स्पष्ट रूप से शेष स्टॉक के 25 प्रतिशत तक सीमित है, त्रुटिपूर्ण और भ्रामक हैं। शीरा वर्ष 2015-16 के लिए कैप्टिव खपत का मापक भी, शीरा वर्ष 2014-15 के लिए इस तरह के उपयोग के आधार पर, इसके विपरीत किसी भी भारी सामग्री के अभाव में, दोष नहीं दिया जा सकता है। [पैरा 28] [1112-ए-डी]

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम यू. पी. राज्य और अन्य (2007) 8 एससीसी 338 [2007] 10 एससीआर 245- अप्रयोज्य करार दिया।

एस. आई. ई. एल. लिमिटेड बनाम भारत संघ **(1998) 7** एससीसी **26: [1998] 1** पूरक एस. सी. आर. **560-** संदर्भित किया।

निर्णय विधि संदर्भ

[2007] 10 एससीआर **245**	अप्रयोज्य रखा गया	पैरा **6**
[1998] 1 पूरक। एससीआर **560**	संदर्भित किया गया	पैरा **18**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 10610/2017

इलाहाबाद उच्च न्यायालय रिट संख्या (सी) No.40567/2016 में पारित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 07-10-2016 से।

दिनेश द्विवेदी, सुश्री इंदु मल्होत्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद, सुश्री नलिन कोहली, प्रशांत केशवानी, अंकित रॉय, वी. डी. खन्ना, सुमित गोयल, सुश्री सोनल गुप्ता, पी. के. भल्ला, प्रवीण कुमार, सुश्री बबीता संत, तनवीर नायर - अधिवक्ता उपस्थित पक्षकारो के लिए।

न्यायालय का निर्णय अमिताव रॉय, जे. द्वारा दिया गया था –

1. अनुमति दी गई।

2. उत्तर प्रदेश राज्य और उसके आबकारी विभाग के पदाधिकारी दिनांक 07.10.2016 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील कर रहे हैं जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जिससे संक्षेप में अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्यर्थी को शीरा वर्ष 2015-16 के लिए शराब बनाने वाली आसवन कारखानों को आपूर्ति के लिए गुड़ के बंदी खपत के बाद शेष स्टॉक का 25 प्रतिशत रखने की अनुमति दें। प्रत्यर्थी को उक्त गुड़ वर्ष के दौरान इसके कैप्टिव उपभोग के लिए गुड़ की और मात्रा की आवश्यकता होने की स्थिति में उपयुक्त प्राधिकरण के पास जाने की भी स्वतंत्रता दी गई थी। अपीलार्थी इस दृढ़ संकल्प और शीरा वर्ष 2015-16 के लिए नीति के विरोध के लिए उपरोक्त निर्देशों को अस्वीकार करते हैं।

3. हमने अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेदी और प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री इंदु मल्होत्रा को सुना है।

4. संक्षेप में प्रस्तुत मुद्दे: मुद्दों की आवश्यक पकड़ के लिए अनावश्यक तथ्यों को टालने की आवश्यकता है। प्रतिवादी कंपनी की "मवाना शुगर वर्क्स मवाना, जिला मेरठ ", "नंगलामनाल चीनी परिसर, नंगलामाल, जिला मेरठ और "तितावी चीनी परिसर, तितिवी, जिला मुजफ्फरनगर " के नाम और शैली में तीन चीनी मिल हैं, जो वैक्यूम पैन प्रक्रिया के माध्यम से क्रिस्टल चीनी के निर्माण में लगे हुए हैं और उप-उत्पाद के रूप में गुड़ का उत्पादन करती हैं।

स्वीकार्य रूप से यू. पी. राज्य के भीतर शीरे का भंडारण, बिक्री, आपूर्ति और वितरण उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (के लिए जिसे इसके बाद संक्षेप में, "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा शासित किया जाता है जिसके तहत धारा 8 के संदर्भ में, शीरा नियंत्रक को साथ राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के चीनी मिल को ऐसे व्यक्तियों को, जो उसमें निर्दिष्ट किया जाए, निर्धारित तरीके से गुड़ के हस्तांतरण या बिक्री या आपूर्ति के लिए आदेश जारी करने का अधिकार है। यह रिकॉर्ड की बात है कि हर साल, राज्य सरकार "शीरा नीति" जारी करती है, जिसके तहत यह चीनी मिलों द्वारा उत्पादित गुड़ से निपटने का तरीका और विधि निर्धारित करती है। नीति निर्विवाद रूप से चीनी मिलो द्वारा उत्पादित गुड़ के कुछ हिस्से का आरक्षण देश के शराब निर्माताओं को बिक्री और आपूर्ति के लिए निर्धारित करती है।

5. शीरा वर्ष 2015-16 के लिए राज्य सरकार ने अपने संचार संख्या 39/2016/1501/E-2/13-2016-74/2015 दिनांक 24.6.2016 के माध्यम से उक्त वर्ष के लिए "शीरा नीति" (संक्षेप में "नीति" भी) जारी की। नीति में उल्लिखित सूत्र के

अनुसार देश के शराब निर्माताओं को आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादित शीरे के 25 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

6. पक्षकार उपरोक्त नीति की व्याख्या पर विवाद में हैं। चूंकि, प्रत्यर्थी के अनुसार, 25 प्रतिशत का आरक्षण उसके शराब कारखाने को बंदी खपत आपूर्ति करने के बाद बचे हुए शीरा पर लागू होगा जैसा कि धामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में अभिनिर्धारित किया गया है।

अपीलकर्ताओं का दावा है कि नीति की सामग्री और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, 25 प्रतिशत का आरक्षण, पॉलिसी में परिभाषित सूत्र के संदर्भ में गणना योग्य शेष स्टॉक के आधार पर अंततः समायोजित शीरे के कुल उत्पादन पर होगा।

7. प्रत्यर्थी का अभिवचन मामला यह है कि इसकी आसवनशाला संचालन के लिए संपूर्ण गुड़ की आवश्यकताअपनी चीनी मिलों में उत्पादित स्टॉक से पूरी की जाती है, और पिछले शीरा वर्ष 2015-16 से संबंधित, इस तरह के बंदी खपत के बाद शीरा का बचा हुआ शेष भंडार उस वर्ष की नीति के अनुसार देश के शराब निर्माताओं को आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराया गया था।

8. इसके अनुसार, शीरा वर्ष 2015-16 में, शीरा का उत्पादन विभिन्न कारणों से बहुत कम रहा है और हालांकि यह अपनी डिस्टिलरीज में 6.6.2016 तक स्टॉक के एक हिस्से का उपभोग इसकी कैप्टिव खपत के लिए कर गया, जब बारिश के कारण संचालन को निलंबित करना पड़ा, यह अनुमान लगाया गया था कि शेष स्टॉक का उपयोग इसकी आसवन कारखानों में किया जाएगा और आरक्षण या देश में बने शराब

निर्माताओं को आपूर्ति के लिए कोई शेष स्टॉक नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि उन्होंने ऊपर विवरण में कहा कि, इसने शीरा नियंत्रक के समक्ष 5.7.2016 पर एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि शीरा का पूरा भंडार शीरा वर्ष 2015-16 के दौरान उत्पादित का उपयोग अनिवार्य रूप से इसकी आसवन में इसके कैप्टिव उपभोग के लिए किया जाएगा, उक्त प्राधिकरण ने बिना किसी कारण को दर्ज किए 27.7.2016 के आदेश द्वारा शीरा वर्ष 2015-16 के लिए नीति अनुपालन का निर्देश दिया है, और इस तरह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

9. अपीलकर्ताओं ने जवाब में अपनी दलीलों में वर्ष 2015-16 के लिए नीति और उस वर्ष के दौरान उत्पादित गुड़ के 25 प्रतिशत के आरक्षण का समर्थन करते हुए और, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी रेखांकित किया कि अधिनियम के संदर्भ में, राज्य सरकार को गुड़ की कीमत का निर्देशन/विनियमन, नियंत्रण, भंडारण, आपूर्ति, श्रेणीकरण करने के लिये अधिकृत और सशक्त किया गया था। यह विस्तार से बताया गया कि आरक्षण के निर्धारण और शीरे के वर्तमान अनुपात को बनाए रखने का उद्देश्य और कारण देश की शराब आसवन कारखानों के लिए हर महीने वस्तु की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करना था ताकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए देशी शराब से राज्य द्वारा अर्जित राजस्व प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। इसने रेखांकित किया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में देशी शराब की न्यूनतम गारंटी मात्रा लगभग 32.02 करोड़ थोक लीटर थी जिसके द्वारा रु 8037.42 करोड़ उत्पन्न होने की संभावना थी और उस उद्देश्य के लिए, 52 लाख क्विंटाल अनुमानित शीरा की आवश्यकता थी। उपरोक्त मात्रा

के गुणवत्ता वाली गुड़ की आपूर्ति जनता को उचित मूल्य पर सुरक्षित और पीने योग्य देशी शराब उपलब्ध कराने के लिए बिना कोई समझौता किये अनिवार्य थी, अत: अवैध रूप से नकली उत्पाद के निर्माण विरुद्ध द्रष्टि और घातक दुर्घटनाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए होने वाली हानि को रोकने पर जोर दिया गया है। अपीलकर्ताओं ने इस प्रकार यह संकेत देने की प्रार्थना की कि देशी शराब के उत्पादन के लिए शीरे के आरक्षण के लिए नियामक व्यवस्था केवल राज्य सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना ही नहीं था बल्कि सार्वजनिक जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित को भी समझा गया था। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि शीरे के आरक्षण के अभाव में, चीनी मिलें वर्ष के अंत में उच्च लाभ अर्जित करने के लिए या इसे मुक्त बिक्री स्टॉक में परिवर्तित करने के लिए इसके स्टॉक को रखने के लिये स्वतंत्रता होंगी जिससे देशी शराब बनाने वाली आसवन कारखानों को होने वाली आपूर्ति गडबडा जायेगी, इस प्रकार सामान्य जनता के लिये सुरक्षित और गुणवत्ता वाली देशी शराब की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। उत्तरदाता कंपनी से संबंधित आंकड़ों का उल्लेख करने के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ इसके प्रारंभिक शेष, उत्पादन और 2012-13 से लेकर 2015-16 तक चार साल की अवधि में कैप्टिव खपत के संबंध में, अपीलार्थियों ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि इन सभी में वर्षों से, प्रत्यर्थी कंपनी के पास शेष को अपने कैप्टिव उपभोग के लिए उपयोग करने के बाद अधिशेष स्टॉक/शेष स्टॉक रह गया था। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि विवादित कार्रवाई अनुपलब्ध थी नीति और विशेष रूप से शेष स्टॉक की गणना का भी उचित संदर्भ दिया गया था।

10. उच्च न्यायालय ने, जैसा कि विवादित निर्णय प्रमाणित करेगा, मुख्य रूप से इस न्यायालय के 'धामपुर शुगर मिल्स' निर्णय पर अपने दृढ़ संकल्प को पूर्व निर्धारित किया जो कि, जो यहाँ से आगे प्रकट होगा, गुड़ के लिए तैयार की गई वर्ष 2015-16 की एक से अलग नीति पर आधारित था। जो भी हो, उच्च न्यायालय के अनुसार, नीति उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर आधारित थी। इसने दिनांकित 27.7.2016 के आक्षेपित आदेश में प्रतिवादी द्वारा बिना किसी कारण के नीति के अनुपालन की आवश्यकता की त्रुटि पाई। इसने अपीलार्थियों के रुख में यह माना कि पूरी अतिरिक्तता शराब बनाने वाले आसवन कारखानों को आपूर्ति के लिए प्रतिवादी द्वारा स्टॉक आरक्षित किया जाना था, हालांकि विशेष रूप से शेष स्टॉक की अवधारणा उल्लेख किए बिना, जैसा कि नीति में समझाया गया है और 'धामपुर शुगर मिल्स' में निर्णय के संदर्भ में कहा गया है कि प्रतिवादी को इसके बंदी उपभोग के बाद बचे अतिरिक्त स्टॉक का केवल 25 प्रतिशत आरक्षित करने की आवश्यकता थी।। इसने शीरा वर्ष 2015-16 के लिये शुरुआती स्टॉक, शीरे के उत्पादन और इसके लिए कैप्टिव खपत का प्रतिनिधित्व करने वाले आंकड़ों को नोट किया, जो पिछला शीरा वर्ष 2014-15 में वास्तविक खपत पर आधारित था और शीरा वर्ष 2015-16 के लिए शेष 15,994 एम. टी. स्टॉक की गणना की और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी को देशी शराब बनाने वाली आसवन कारखानों को आपूर्ति के लिए इसका केवल 25 प्रतिशत आरक्षित करने की आवश्यकता होगी। प्रत्यर्थी का यह मत कि उसे शीरे के पूरे भंडार का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है, अस्वीकार कर दिया गया और उसके द्वारा दिए गए विवरणों के अभाव में, उसने इसके कैप्टिव उपभोग को शीरे के

वर्ष 2014-15 के रूप में स्वीकार किया। तदनुसार, प्रत्यर्थी को, इसके कैप्टिव उपभोग के बाद, नीति के अनुसार देशी शराब के निर्माता आसवन कारखानों को आपूर्ति के लिए अपने शेष स्टॉक का 25 प्रतिशत आरक्षित रखने की आवश्यकता थी। दोहराने के लिए, अपीलार्थी को संबंधित अधिकारियों को पेशकश करने की स्वतंत्रता भी दी गई थी, यदि उसे शीरा वर्ष 2015-16 के दौरान इसके कैप्टिव उपभोग के लिए और अधिक मात्रा में शीरा की आवश्यकता होती है।

11. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दिनेश द्विवेदी ने दृढ़ता से कहा है कि विवादित निर्णय एक धामपुर शुगर मिल्स 1 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का गलत अध्ययन है और नीति की स्पष्ट रूप से गलत व्याख्या है और इस प्रकार, कानून और तथ्यों में स्पष्ट रूप से अस्थिर है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस अदालत द्वारा 'धामपुर शुगर मिल्स' में जिस नीति को विश्लेषित और विज्ञापित किया गया था, वह अपने पाठ और तत्व में विवादित नीति से स्पष्ट रूप से अलग थी, जिसके लिये उससे समानता सम्भव नहीं थी। उनके अनुसार, नीति, जिसका कई स्थानो पर 'धामपुर शुगर मिल्स' में टिप्पणियो का संदर्भ है, अपनी ताकत पर खड़ी है और यदि इसकी सही ढंग से व्याख्या की जाती है, तो प्रतिवादी के दावों और विवादित निर्णय में दर्ज निष्कर्षों को पूरी तरह से विफल कर देगी। उन्होंने आग्रह किया कि धामपुर चीनी मिलों में दिए गए निर्णय का कोई निर्णायक प्रभाव नहीं है और इस प्रकार, विवादित निर्णय का प्रारंभिक आधार स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है, जो इसे अक्षम्य बनाता है। नीति पर सार्वजनिक हित के समर्थन में नीति के अंतर्निहित उद्देश्यों को दोहराने के अलावा, श्री द्विवेदी ने, शेष स्टॉक की अवधारणा को संदर्भित करते हुए, जैसा कि नीति

में स्पष्ट किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के रूप में किया, जोर देकर कहा गया कि शीरा के निर्माता को शुरुआत में, शीरा वर्ष 2015-2016 में अपने कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत अलग रखना अनिवार्य था, जिसे समायोजित किया जाना था, अंततः इसके आसवन के कैप्टिव खपत के लिए इसके अधीन था और इस तरह के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद कोई भी व्याख्या या तो इसके विपरीत या उसका अनुचित संयमहोने से, कानून में असमर्थनीय है।

12. सुश्री इंदु मल्होत्रा, जो कि प्रतिवादी की वरिष्ठ वकील हैं, ने उपरोक्त के प्रत्याख्यान में तर्क दिया कि नीति की व्याख्या उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित, 'धामपुर चीनी मिल्स' में उच्चारण के आधार पर निर्विवाद है। उनके अनुसार, नीति की व्याख्या, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा विस्तारित की गई है, पूरी तरह से गलत होने के अलावा, यदि स्वीकार किया जाती है, तो अन्य के साथ प्रतिवादी को शीरा वर्ष 2015-16 के अंत में अगले वर्ष के लिए अपनी निर्माण प्रक्रिया शुरू करने के लिए गुड़ के किसी भी स्टॉक के बिना छोड़ देगी जो कि अकल्पनीय है। उन्होने आग्रह किया है कि 'धामपुर चीनी मिल्स' में निर्णय का प्रचुर संदर्भ नीति में यह स्पष्ट करता है कि नीति की व्याख्या, जैसा कि उसमें किया गया है, जानबूझकर नीति पर लागू की गई थी और इस प्रकार उत्तरदाता को गुड़ के भंडार का इसके पूर्ण सीमा तक कैप्टिव खपत के बाद बचे हुए केवल 25 प्रतिशत आरक्षित रखने की आवश्यकता थी।

13. अलग-अलग दलीलो और विपरीत दावो ने हमारा सतत ध्यान खींचा है। जैसा कि विवादित निर्णय का एक सादा अध्ययन इस बात की गवाही देगा कि यह

धामपुर शुगर मिल्स में प्रतिपादन पर काफी हद तक संरचित है, शुरू में ही इसका विज्ञापन करना उचित होगा, ताकि अंतिम निर्णय के लिए रास्ता साफ किया जा सके।

14. पक्षकार इस मुद्दे पर नहीं हैं कि अधिनियम ने एक कानूनी व्यवस्था स्थापित की है जिसके तहत राज्य सरकार शीरा के नियंत्रण, भंडारण, आपूर्ति, वर्गीकरण और कीमतो के लिये आवश्यक आदेश/दिशा निर्देश जारी कर सकती है और इसलिए विवादित नीति और आदेश में किसी प्रकार के प्राधिकार का अभाव नहीं है। दोहराने के लिए, न तो अधिनियम की वैधता और न ही नीति की वैधता पर हमला किया गया है, और इसलिये, तत्काल प्रक्रिया प्रतिवादी और समान रूप से स्थित अन्य चीनी मिलों पर इसके आवेदन में नीति की व्याख्या पर असहमति तक सीमित है। समस्या का समाधान करने के लिए और उस पूर्व-अनुमान को ध्यान में रखते हुए, जिस पर विवादित निर्णय पारित किया गया है, धामपुर चीनी मिल्स में प्रस्तुतिकरण और नीति 2015-2016 के प्रासंगिक भागों को क्रमबद्ध रूप से नोट करना समीचीन होगा।

15. धामपुर शुगर मिल्स में, हमला उत्तर प्रदेश राज्य का एक आदेश से सम्बंधित है जो कि उत्तर प्रदेश शीरा नियमन अधिनियम, 1964 (संक्षिप्त में "अधिनियम") के तहत अपीलार्थी को " वित्तीय वर्षों 2003-04 और 2004-05 के लिए आसवन कारखानों द्वारा देश में बनाई गई शराब के साथ-साथ अभियोजन के लिए परिणामी कारणदर्शक नोटिस, जैसा कि अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, अपनी चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरा का 20 प्रतिशत उत्पादन के लिए आपूर्ति करने का निर्देश देता है।

अपीलार्थी के पास राज्य में एथिल अल्कोहल, जिसका उपयोग पेट्रोल के मिश्रण, रसायनों के निर्माण और दवाओं के लिए रेक्टिफाइड स्पिरिट का उत्पादन किया जाता था , का उत्पादन करने के लिये आसवन के साथ एक चीनी मिल थी। इसका अन्य स्थानों पर भी इसी तरह का व्यवसाय था। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह था कि हालाँकि वह शीरा उत्पादन कर रहा था, उसे कैप्टिव खपत के लिए पूरे उत्पादन की आवश्यकता थी और वह भी पर्याप्त नहीं था जिसके लिए वह सरकार की अनुमति से अन्य राज्यों और अन्य देशों से भी से वस्तु का आयात कर रहा था। इसलिए यह तर्क दिया कि जैसा कि देश में बनी शराब बनाने वाली आसवन कारखानों को आपूर्ति के लिए शीरा का कोई शेष या अतिरिक्त भंडार नहीं होने के कारण,इसे छोड़ दिया गया था अधिकारी विवादित आदेशों के अनुसार इसे शीरा की आपूर्ति करने के लिए मजबूर नहीं कर सके और इस कार्रवाई को अवैध, मनमाना और अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघनकारी होने के कारण अस्वीकार कर दिया।

16. खंडन में, सरकार की दलील थी कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिकारियों के लिए यह खुला था कि वे अपीलार्थी को देश में बनी शराब का निर्माण के लिये 20 प्रतिशत गुड़ की आपूर्ति करने के लिए कहें और इस प्रकार विवादित आदेश पूरी तरह से अधिनियम के जनादेश के अनुरूप थे और इसे किसी भी तरह से अवैध और गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता था। उच्च न्यायालय ने दोहराते हुए कहा कि शीरे के 20 प्रतिशत के लिए आरक्षण और देश में बनी शराब बनाने के लिए ऐसे स्टॉक की आपूर्ति करने के लिए अपीलार्थी को जारी किए गए निर्देश न तो कानून के विपरीत थे और न

ही सार्वजनिक नीति के खिलाफ थे और इस प्रकार अपीलार्थी के आक्षेप को अस्वीकार कर दिया।

17. इस न्यायालय के समक्ष, यह मुख्य रूप से प्रचार किया गया था कि विवादित आदेश स्पष्ट थे और एक चीनी मिल को शेष स्टॉक से 20 प्रतिशत गुड़ यानी उद्योग द्वारा वास्तविक खपत के बाद बचे हुए गुड़ को देशी के शराब विनिर्माण के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता थी और चूंकि अपीलार्थी के पास शीरे का ऐसा शेष भंडार नहीं था, यहां तक कि इसके बंदी उपभोग के लिए भी नही थ और उसे देश और विदेश के अन्य राज्यों से शीरे का आयात करना पड़ता था , इसे अन्य आसवन कारखानों द्वारा देशी शराब के निर्माण के लिए 20 प्रतिशत शीरा आरक्षित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था।

18. इस न्यायालय ने, यह देखते हुए कि अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी, इसे पहले एस. आई. ई. एल. लिमिटेड बनाम भारत संघ में बरकरार रखा गया था जिसमें क़ानून को राज्य की विधायी क्षमता के भीतर माना गया था और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के साथ असंगत भी नहीं था, आगे, आदेश 9.6.2004 के आगे खंड (3) का उल्लेख किया गया है जिस पर उच्च न्यायालय ने चुनौती को आंशिक रूप से बरकरार रखने के लिये भरोसा किया है। आदेश का मूल पाठ हिंदी में होने के कारण, उसका अनुवाद, जैसा कि निर्णय में संदर्भित है, निकाला गया है जो नीचे दिया गया हैः

"25. अपीलार्थी द्वारा अनुलग्नक पी-3 में प्रदान किया गया अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार हैः

प्रत्येक चीनी मिल के साथ शीरे के शेष भंडार से, 20 प्रतिशत शीरा देशी शराब बनाने वाली आसवन कारखानों के लिए आरक्षित किया जाएगा। जिन चीनी मिलों की अपनी आसवन इकाइयाँ हैं, उन्हे इस आरक्षण के भीतर इस हद तक शामिल नहीं किया जाएगा कि उनकी कैप्टिव डिस्टिलरी में शीरे के वास्तविक सेवन के बाद, 20 प्रतिशत शेष स्टॉक पर आरक्षण लागू होगा।"

19. उपरोक्त उद्धृत पाठ को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यही बात केवल शीरा के अतिरिक्त भंडार पर लागू होती है, अर्थात वह शीरा जो चीनी कारखाने द्वारा कैप्टिव खपत के लिए उपयोग नहीं किया जाता था और इस प्रकार "शेष भंडार" था और उस सीमा तक अपीलार्थी का दावा बरक्रार रखा गया। इस न्यायालय ने अपीलार्थी की याचिका को भी खारिज कर दिया कि उसके पास शीरा का कोई अतिरिक्त भंडार नहीं था और उसे औद्योगिक शराब के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा ऐसी अनुमति प्राप्त करने के बाद उक्त वस्तु को उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य स्रोतों से आयात करना पडता था। इसलिए इस न्यायालय ने घोषणा की कि अपीलार्थी का मामला एकवचन में, जैसा कि अनुमान लगाया गया है, तथ्य की स्थिति उपरोक्त खंड (3) के दायरे में नहीं आती थी और इसलिए, अधिकारियों द्वारा इसे इसके खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता था। इसलिए इसने यह निश्चय किया कि उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि

सभी चीनी मिलें सरकारी आदेश 2004 का खंड (3) के अंतर्गत 20 प्रतिशत शीरे की आपूर्ति करने के लिए बाध्य थीं चाहे स्टॉक कितना भी हो। संबोधित की गई अन्य दलीलों का कोई महत्व नहीं है अत: तत्काल निर्णय के लिए विज्ञापित नहीं किया जा रहा है। इसे निर्धारित करने के लिए पर्याप्त हो ने से-निर्णय के परिचालन भाग के ऊपर पैराग्राफ 53 और 54: जैसा कि इसमें निहित है :

> "53. पूर्वगामी कारणों से, हमारी राय में, अपील अनुमति देने योग्य योग्य है और उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया जाता है। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उत्तरदाताओं द्वारा जारी किया गया निर्देश किसी भी चीनी मिल के साथ शीरा की शेष राशि नहीं होने की स्थिति में लागू नहीं होगा। प्रत्यर्थी अधिकारियों को ऐसी चीनी मिलों को देशी शराब के निर्माण के उद्देश्य से 20 प्रतिशत गुड़ की आपूर्ति करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है।
>
> 54. लेकिन, हम एक बात स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलार्थी का दावा था कि उसके पास कोई शेष भंडार नहीं है और यहां तक कि अपनी आवश्यकता के लिए भी उसे गुड़ का आयात करना पड़ता है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का आरोप है कि अधिकता और शेष गुड़ अपीलार्थी के पास उपलब्ध था जिसे उसने खुले बाजार में बेचा था। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में अंततः इस प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया है। रिट याचिका से कुछ अनुच्छेदों का हवाला देते

हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई उचित अभिवचन नहीं थाऔर इस तरह, न्यायालय प्रश्न में जाने के लिए ऐसी स्थिति में नहीं था। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे निर्णय और इस निर्णय में किए गए अवलोकन के आधार पर कानून के साथ यह उत्तरदाताओं के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए खुला है।"

20. अभिलेख इस बात की गवाही देते हैं कि उक्त नीति 2015-16 एक परिपत्र/संचार संख्या 39/2016/1501/E-2/तेरह-2016-74 /2015 द्वारा स्थानीय भाषा में प्रकाशित की गई थी और इसकी एक अनुवादित प्रति अभिलेखों पर रखी गई है और तर्कों के दौरान प्रस्तुत की गई है। जैसा कि श्री द्विवेदी द्वारा अपीलार्थियों की ओर से प्रमाणित किया गया था कि सुनवाई में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ में मूल का सही अनुवादित संस्करण है, अत: उसी का उल्लेख किया जाएगा। इसके प्रासंगिक अंश उद्धृत किए गए हैं जिन्हे नीचे दिया गया हैः

"इस संबंध में, मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त पत्र दिनांकित 9 नवंबर, 2015; 20 जनवरी, 2016; 2 फरवरी, 2016; 2 अप्रैल, 2016; मई, 2016 और 23 मई, 2016 के अनुसरण में आपसे प्राप्त सुझाव/प्रस्तावः को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई मोलासीस सलाहकार समिति की 31.10.2015 और 15.03.2016 को आयोजित बैठकों में रखा गया था और इन पर विचार किया गया और इसे आगे

बढ़ाने के लिए वर्ष 2015-16 के लिए निम्नलिखित मोलासीस नीति तैयार की गई है:

(1) शीरा वर्ष 2015-16 में प्रत्येक चीनी मिल उत्पादित शीरा का 25 प्रतिशत आरक्षित रखेगी और वो चीनी मिले जिनके आसवन राज्य में स्थित हैं, वह उनके द्वारा वर्ष 2015-16 में उत्पादित शीरा की मात्रा के बारे मे निम्नलिखित आरक्षण लागू करेंगी-

(अ) यदि बंदी चीनी मिलो की शेष स्टॉक मात्रा आरक्षित राशि (25 प्रतिशत) से अधिक है, तब उस स्थिति में उन पर 2007 के सिविल अपील No.4466 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2007 के पैराग्राफ 47 में निहित निर्देशों के अनुसार शीरा वर्ष जिसका शीर्षक मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य है, से पूर्ण आरक्षण प्रारम्भ से लागू होगा। क्योंकि इससे गुड़ की अपनी खपत (मात्रा को देखते हुए) में कोई कमी नहीं आएगी (शीरा वर्ष 2014-15 के स्व-उपभोग की मात्रा के आलोक में);

(आ) जबकि किसी स्थिति में यदि कैप्टिव समूह की चीनी मिलो का शेष स्टॉक आरक्षित मात्रा से कम हैं, तो उस स्थिति में सिविल अपील No.4466/07-शीर्षक मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य_दिनांकित 24.09.2007 में पारित आदेश के पैराग्राफ 46 में निहित निर्देशानुसार उन पर आरक्षण गुड़

वर्ष की शुरुआत से लागू होगा और आरक्षण की मात्रा शेष स्टॉक की मात्रा के लिए सीमित होगी क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उनके स्व-उपभोग की कोई कमी नहीं होगी (शीरा वर्ष 2014-15 की स्व-उपभोग की मात्रा को देखते हुए)। क्योंकि यह शीरे की अपनी खपत में कोई कमी पैदा नहीं करेगा (शीरा वर्ष 2014-15 की शीरे की स्व-खपत की मात्रा को देखते हुए);

(इ) जबकि यदि कैप्टिव समूह की चीनी मिलों के शेष स्टॉक ई मात्रा शून्य है अर्थात यू कहें कि उनकी खपत उनके लिए उपलब्ध शीरा की मात्रा से अधिक है (शीरा वर्ष 2014-15 के आधार पर स्व-खपत), तो उस मामले में सिविल अपील संख्या 4466/2007-शीर्षक मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य दिनांकित 24.09.2007 में पारित आदेश के पैराग्राफ 46 में निहित निर्देशों के अनुसार उन पर कोई आरक्षण लागू नहीं होगा।

शेष स्टॉक का निर्धारण:

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय और आदेश सिविल अपील संख्या 4466/2007-शीर्षक मेसर्स धामपुर शुगर में पारित मिल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के पैरा 20 में शेष राशि का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जो नीचे लिखा है –

"हालाँकि, हमारी राय में, खंड (3) केवल शीरे के अतिरिक्त भंडार पर लागू होता है, यानी शीरे जो अधिक है और चीनी कारखाने द्वारा कैप्टिव खपत के लिए उपयोग नहीं किया जाता है और इस प्रकार शेष स्टॉक है।“

(2). आरक्षण का उपरोक्त प्रतिशत इस शर्त के साथ तय किया गया है कि हर तिमाही के बाद गुड़ की उपलब्धता और आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी और यदि गुड़ की उपलब्धता और देशी शराब की आवश्यकता के कारण आरक्षण के प्रतिशत में कोई बदलाव होता है (अधिकता या कमी के लिए), तब राज्य सरकार इस संबंध में प्रत्येक तथ्य पर विस्तार से विचार के करने के पश्चात शीरे के आरक्षण प्रतिशत में परिवर्तन के सम्बंध में उचित निर्णय लेगी।"

21. उद्धृत पाठ से यह समीचीन होगा कि शीरा वर्ष 2015-15 के लिये, प्रत्येक चीनी मिल, पहले स्थान पर, अपने द्वारा उत्पादित शीरा 25 प्रतिशत आरक्षित रखेंगी, और वह चीनी मिलें, जिनके शराब कारखाने राज्य में स्थित हैं, निम्नलिखित मानदंडों को लागू करेंगे ए. टी. एन.:

(क) यदि शेष स्टॉक आरक्षित मात्रा (25 प्रतिशत) से अधिक है, तब उस मामले में, उन पर पूर्ण आरक्षण शीरा वर्ष की शुरुआत से प्रभावित होकर लागू होगा।

(ख) यदि शेष स्टॉक आरक्षित मात्रा से कम है, तो आरक्षण शीरा वर्ष की शुरूआत से लागू होगा, लेकिन शेष स्टॉक की मात्रा तक सीमित होगा।

(ग) यदि शेष स्टॉक शून्य है अर्थात यदि गुड़ की कैप्टिव खपत उनके लिए उपलब्ध मात्रा से अधिक है, तब कोई आरक्षण नहीं होगा

22. जैसा कि सभी खंड दर्शाते हैं, धामपुर चीनी मिल्स में निर्णय के पैराग्राफ 46 और 47 का संदर्भ का उल्लेख किया गया है, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि सभी संभावनाओं में, चीनी मिलों द्वारा गुड़ की कैप्टिव खपत में कटौती या पूर्वाग्रह नहीं किया जाएगा।

23. इसी प्रकार “शेष स्टॉक” के संदर्भ में, धामपुर चीनी मिल्स में निर्णय में, पैराग्राफ 20 (रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैरा 27 से मेल खाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है) में निम्नलिखित उल्लेखित किया गया है-

> "लेकिन हमारी राय में खंड (3) केवल शीरा के अतिरिक्त स्टॉक पर लागू होता है यानी, शीरा जो चीनी कारखाने द्वारा कैप्टिव खपत के लिए अधिक है और उपयोग नहीं किया जाता है और इस प्रकार शेष स्टॉक है।"

24. इस नीति में शेष स्टॉक का निर्धारण इस प्रकार किया गया हैः

शीरा वर्ष 2015-16 के लिये शेष स्टॉक = शीरा वर्ष 2015-16 में मिलों के समूह का अनारक्षित प्रारंभिक शेष स्टॉक + शीरा वर्ष 2015-16 - शीरा वर्ष 2015-16 में उत्पादन में शीरा का स्व-उपभोग (गुड़ वर्ष 2014-15 में 31.10.2015 तक शीरा के स्व-सेवन के बराबर)

25. इस प्रकार मूल रूप से पॉलिसी के उद्देश्य के लिए शेष स्टॉक वह स्टॉक है जो शीरा वर्ष 2015-16 में अनारक्षित प्रारंभिक उत्पादन और उस वर्ष में उसके उत्पादन के कुल योग में से उसी शीरा वर्ष के दौरान कैप्टिव खपत के लिए वस्तु के उपयोग के बाद बचेगा।यद्यपि यह अंततः यह तय करने के लिए प्रासंगिक है कि देश में बनी शराब बनाने वाली अन्य आसवन कारखानों को आपूर्ति की मात्रा का पता लगाने के लिए आरक्षण की सीमा प्रभावी होगी, लेकिन यह किसी भी तरह से प्रतिवादी के इस तर्क का समर्थन नहीं करता है कि चाहे उपरोक्त खंड (ए), (बी) और (सी) में संभावितताएँ कुछ भी हों, ऐसे शेष स्टॉक का आरक्षण केवल 25 प्रतिशत होगा और अन्यथा नहीं। यह नीति के स्पष्ट निर्देश को ध्यान में रखते हुए है कि आरक्षण उत्पादित शीरे के 25 प्रतिशत का होगा, जो किसी भी तरह से यह इंगित करने के लिए नहीं हो सकता है कि इस तरह के आरक्षण को केवल संबंधित चीनी मिलों के कैप्टिव खपत के बाद बचे हुए शेष स्टॉक का माना गया था। इस तरह का निर्माण नीति का पूरी तरह से गलत अध्ययन होगा और विकृति पर सीमा बनाएगा।

26. पुनः गणना के लिए, दिनांकित 09.06.2004 आदेश का खंड (3), जो 'धामपुर शुगर मिल्स' में इस न्यायालय की जांच के लिए आया था, निम्नलिखित शर्तों में थाः

> "25. अपीलार्थी द्वारा अनुलग्नक में प्रदान किया गया अंग्रेजी अनुवाद
>
> पी-3 इस प्रकार हैः

प्रत्येक चीनी मिल के पास शीरे के शेष भंडार से, 20 % शीरा देशी शराब बनाने वाले आसवन कारखानों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। जिन चीनी मिलों की अपनी आसवन इकाइयाँ हैं, वे इस हद तक इस आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगी कि उनकी कैप्टिव डिस्टिलरी में शीरे की वास्तविक खपत के बाद, 20 प्रतिशत आरक्षण शेष स्टॉक पर लागू होगा।"

27. यह पाठ और सामग्री दोनों में शीरा वर्ष 2015-16 के लिए नीति से निकाले गए उपरोक्त अंश से पूरी तरह से भिन्न है, जबकि धामपुर चीनी मिल में चुनौती के तहत आदेश में, यह स्पष्ट है कि नीति का उद्देश्य चीनी मिल के साथ शेष स्टॉक से गुड़ के 20 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण करना था इसके स्पष्ट विपरीत, शीरा वर्ष 2015-16 के लिए नीति में, कुल उत्पादित शीरा के 25 प्रतिशत आरक्षण का आदेश है। समायोजन, यदि कोई हो, तो वह अंततः आरक्षण की सीमा में शेष स्टॉक की मात्रा के अनुसार किया जाएगा, शेष राशि की मात्रा, हमारी समझ में, प्रत्यर्थी द्वारा अनुरोध किए गए तरीके से नीति के सार को नहीं बदलेगी। दोनों नीतियों का सार और उद्देश्य, आश्चर्यजनक रूप से भिन्न होने के कारण, कोई समानता स्वीकार्य नहीं है।

28. धामपुर शुगर मिल्स में निर्णय के पैराग्राफ 46/47 का एक सतही पठन, (जैसा कि नीति को संदर्भित किया गया है) जो (2007) 8 SCC 338 में अपने रिपोर्ट किए गए संस्करण में, पैराग्राफ 53 और 54 के अनुरूप है। सम्पूर्ण मामले में, हम स्पष्ट रूप से सही हैं कि, यह बहुत स्पष्ट है कि ऐसा संदर्भ अनुचित था और, किसी भी मामले

में, केवल इस धारणा को इंगित करने के लिए बनाया गया था कि भौतिक रूप से शेष स्टॉक वह स्टॉक होगा जो संबंधित चीनी मिल द्वारा शीरे की खपत कैप्टिव के बाद बचा होगा और इसका नीति में परिकल्पित शेष स्टॉक की गणना पर कोई असर नहीं है और किसी भी तरह से इसकी व्याख्या का मार्गदर्शन नहीं करेगा। मामले की इस दृष्टि से, उच्च न्यायालय का यह अनुमान कि शीरा वर्ष 2015-16 के लिए नीति धामपुर चीनी मिल्स में निर्णय पर आधारित थी, स्पष्ट रूप से गलत है। इस तरह की नीतियां एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो समकालीन अप्पत्कालीन आवश्यकतायें होती है और कार्यपालिका के दायरे में आती है। उच्च न्यायालय, हमारे अनुमान के अनुसार, उस आधार पर कार्यवाही करने और परिणामी निर्देश जारी करने में घोर त्रुटि में पड़ गया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि, नीति सचेत रूप से इस बात को रेखांकित करती है कि किसी भी स्थिति में इस प्रकार, चीनी मिलों द्वारा शीरा की कैप्टिव खपत बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है, इतना कि अगर शेष स्टॉक आरक्षण की सीमा से अधिक है, यह पूरा लागू होगा, लेकिन अगर शेष राशि स्टॉक आरक्षित की जाने वाली मात्रा से कम है, आरक्षण केवल शेष स्टॉक की सीमा तक काम करेगा और उससे अधिक नहीं होगा। शेष स्टॉक के रूप में, यदि कोई हो, तो अवधारणात्मक रूप से शेष स्टॉक वह होगा जो बंदी उपभोग के माध्यम से उपयोग होने के बाद बचा होगा, नीति के अवैध, अनुचित, अन्यायपूर्ण, अनुचित या असंवैधानिक होने की चुनौती के अभाव में, प्रत्यर्थी की यह दलील कि आरक्षण सभी स्थितियों में शेष स्टॉक के 25 प्रतिशत तक स्पष्ट रूप से सीमित है, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और दुर्भवनापूर्ण है। शीरा वर्ष 2015-16

के लिये बंदी खपत का मापक, शीरा वर्ष 2014-15 के उपभोग के आधार पर, ठोस विपरीत सामग्री के अभाव में, भी अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है।

30. परिणामस्वरूप, उसमें जो कार्यात्मक निर्देश निहित थे उन्हें भी निरस्त कर दिया जाता है। अपीलार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि नीति को पूरी तरह से लागू किया जाए। उत्तरदाता इसका पालन करेगा समान रूप से और बिना किसी असफलता के अपना सहयोग करेगा। अपील की अनुमति दी जाती है। कोई हर्जाना नहीं।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता बृजेश कुमार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।